राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

अनुपम खंडेलवाल बनाम गेदी देवी

तारीख हुक्म	511/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/10/2021 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्वीकृत तथ्य जाहिर होता है कि प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा उल्लेखित विक्रय पत्र में विक्रेतागण का हिस्सा भिन्न-भिन्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा किया गया परिक्षण/विवेचन उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपील के स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/10/2021 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालयं में सुनाया गया।	